[2023] 4 एस. सी. आर 382

मैसर्स यूएस टेक्नोलॉजीज इंटरनेशनल पी. वी. टी. लिमिटेड।

वी.

आय कर का आयुक्त

(2011 की सिविल अपील सं. 7934)

अप्रैल 10,2023

[एम. आर. शाह और सी. टी. रविकुमार, जे. जे.]

आय कर अधिनियम, 1961 - s.271C-कटौती के बाद टी. डी. एस. के विलंबित प्रेषण की व्याख्या, ऐसा निर्धारिती यदि उत्तरदायी है

जुर्माने का भुगतान करें s.271C-आयोजितः नहीं-एस। 271 सी (1) (ए) संबंधित व्यक्ति/निर्धारिती की ओर से कर के पूरे या किसी भी हिस्से की "कटौती" करने में विफलता के मामले में लागू होगा, जैसा कि इसके तहत आवश्यक है।

अध्याय XVIIB के प्रावधान-s में उपयोग किए गए शब्द। 271 सी (1) (ए) 'कटौती करने में विफल' हैं-यह टी. डी. एस. के विलंबित प्रेषण के बारे में बात नहीं करता है-इस प्रकार, इसके तहत कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। s.271C टी. डी. एस. के प्रेषण में केवल देरी होने पर संबंधित निर्धारिती द्वारा कटौती की जाती है।

आयकर अधिनियम, 1961-एस. 201 (1 ए) और 276 बी-आयोजितः टी. डी. एस. के भुगतान में देरी/प्रेषण पर परिणाम

यू/एस. एस. बनें। 201 (1 ए) और 276 बी। विधानों की व्याख्या-दंडात्मक प्रावधान-का निर्माण-आयोजितः दंडात्मक प्रावधानों को सख्ती से और शाब्दिक रूप से समझने की आवश्यकता है-उन्हें वैसे ही पढ़ा जाना चाहिए जैसे वे हैं, उनमें से कुछ भी जोड़ा या निकाला नहीं जाना है।

परिपत्र/सूचना-सीबीडीटी का परिपत्र No.551 दिनांकित

23.01.1998 - राजस्व द्वारा उक्त परिपत्र पर रिलायंस को रखा गया था और यह तर्क दिया गया था कि अभियोजन पक्ष के अलावा, व्यक्ति

जिसने स्रोत पर कर की कटौती की है लेकिन उसे सरकार को नहीं भेजा है, वह भी जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी होगा और यही कारण है कि एस। 271 सी डाला गया था-आयोजितः परिपत्र निर्धारिती का पक्ष लेता है-यहां तक कि सीबीडीटी ने भी इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि किसी भी दंड की परिकल्पना नहीं की गई है

यू / s.271C टीडीएस के विलंबित प्रेषण/भुगतान/जमा के लिए-आयकर अधिनियम, 1961 - s.271C। शब्द और वाक्यांश-s में "कटौती करने में विफल"। 271 सी (1) (ए), 1961 अधिनियम-आयकर अधिनियम, 1961 का अर्थ और दायरा -

एस. 271 सी (1) (ए)।

382 मैसर्स यूएस टेक्नोलॉजीज इंटरनेशनल

पीवीटी।

लिमिटेड। वी. द.

आय कर आयुक्त

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 ये सभी मामले टी. डी. एस. के विलंबित प्रेषण के संबंध में हैं, हालांकि निर्धारिती द्वारा कटौती की जाती है और

अध्याय XVIIB के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन अपेक्षित कर का। धारा 271 सी (1) (ए) में उपयोग किए गए शब्द बहुत स्पष्ट हैं और उपयोग किए गए प्रासंगिक शब्द "कटौती करने में विफल" हैं। यह टीडीएस के विलंबित प्रेषण के बारे में नहीं बताता है। दंडात्मक प्रावधान हैं -

इसका कड़ाई से और शाब्दिक अर्थ निकालने की आवश्यकता है। दंडात्मक प्रावधान को वैसे ही पढ़ा जाना चाहिए जैसे वे हैं। दंडात्मक प्रावधान से कुछ भी नहीं जोड़ा जाना है या कुछ भी नहीं निकाला जाना है। इसलिए, अधिनियम, 1961 की धारा 271 सी को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, निर्धारिती द्वारा टी. डी. एस. की कटौती के बाद टी. डी. एस. के विलंबित प्रेषण पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। आयकर अधिनियम की धारा 271 सी काफी स्पष्ट है। इसका दायरा और उपयोग की सीमा प्रावधान से ही स्पष्ट रूप से स्पष्ट है। जब अध्याय XVIIB के विभिन्न उदाहरणों/प्रावधानों द्वारा या उनके तहत आवश्यक कर की पूरी या किसी भी भाग की कटौती नहीं की जाती है।

271 अधिनियम के सी (1) (बी), अर्थात्, भुगतान न करने पर। यह न्यायालय के लिए नहीं है कि वह इरादे के विपरीत इसमें कुछ और पढ़े और विधायी ज्ञान। [पैरा 7.5,7.6] [393-ए-जी]

1.2 जहाँ भी संसद चाहती थी

टी. डी. एस. के गैर-भुगतान और/या विलंबित प्रेषण/भुगतान के परिणामों के लिए, संसद/विधानमंडल ने वही [2023] 4 एस. सी. आर. प्रदान किया है।

201 (1 ए)। इसी तरह, धारा 276 बी टी. डी. एस. को काटने के बाद भुगतान करने में विफलता पर अभियोजन पक्ष के बारे में बात करती है। धारा 271 सी को बाद में वर्ष 1997 में संशोधित किया गया है। धारा 271 सी (1) (ए) और 271 सी (1) (बी)। जैसा कि ऊपर देखा गया है, कर का पूरा या किसी भी हिस्से का भुगतान करने में विफलता इसके अंतर्गत आएगी।

धारा 271 सी (1) (बी) और 271 सी (1) (ए) और 271 सी (1) (बी) के बीच प्रयुक्त शब्द "या" है। धारा 276 बी केंद्र सरकार को कर का "भुगतान" करने में विफलता के मामले में अभियोजन का प्रावधान करती है। "वेतन" शब्द धारा 271 सी (1) (ए) में नहीं है। [पैरा 7.7-7.9] [393 एच; 394-ए-डी]

1.3 सीबीडीटी का परिपत्र संख्या 551 दिनांकित 23.01.1998 निर्धारिती का पक्ष लेता है। परिपत्र संख्या 551 से संबंधित है

जिन परिस्थितियों में धारा 271 सी लागू की गई थी

क़ानून, जुर्माना लगाने के लिए। उक्त सीबीडीटी के परिपत्र को निष्पक्ष रूप से पढ़ने पर, यह स्रोत पर कर की कटौती करने में विफलता पर जुर्माना लगाने के बारे में बात करता है। यह इस तथ्य पर भी ध्यान देता है कि यदि प्रेषण में कोई देरी होती है

कर, यह अधिनियम की धारा 201 (1 ए) के तहत ब्याज का भुगतान आकर्षित करेगा और इसमें शामिल शरारत की गंभीरता के कारण, इसमें अधिनियम की धारा 276 बी के तहत अभियोजन कार्यवाही भी शामिल हो सकती है। यदि स्रोत पर कर की कटौती करने में कोई चूक होती है, तो इससे राजस्व का नुकसान हो सकता है और इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान को शामिल करके उपचारात्मक उपाय किए गए हैं कि उक्त सीमा तक कर देयता उस पक्ष के कंधों पर स्थानांतरित हो जाएगी जो कटौती करने में विफल रहा, जुर्माने के रूप में। कर की कटौती पर, यदि राजस्व को राशि भेजने में देरी होती है, तो उसे अधिनियम की धारा 201 (1 ए) के तहत देय ब्याज के साथ संतुष्ट होना होगा, इसके अलावा अभियोजन कार्यवाही का सामना करने के लिए दायित्व, यदि उचित मामलों में शुरू किया जाता है, तो अधिनियम की धारा 276 बी के संदर्भ में। यहां तक कि सीबीडीटी ने भी इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि धारा 271 सी एम/एस यूएस टेक्नोलॉजीज इंटरनेशनल के तहत किसी भी दंड की परिकल्पना नहीं की गई है

पीवीटी।

लिमिटेड। वी. द.

आय कर आयुक्त

गैर-कटौती टी. डी. एस. के लिए आयकर अधिनियम और कोई जुर्माना नहीं है धारा 271 सी के तहत विलंबित प्रेषण/भुगतान/टीडीएस जमा करने की परिकल्पना की गई है। [पैरा 8] [394-ई; 395-बी-ई]

1.4 खंड में आने वाले शब्द "कटौती करने में विफल"

271 सी (1) (ए) को "कटौती किए गए कर को जमा करने/भुगतान करने में विफलता" में नहीं पढ़ा जा सकता है। इसलिए, धारा 271 सी की सही व्याख्या पर, धारा 271 सी के तहत संबंधित निर्धारिती द्वारा टीडीएस की कटौती के बाद प्रेषण में केवल देरी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। भुगतान न करने पर परिणाम /

टी. डी. एस. का विलंबित प्रेषण धारा 201 (1 ए) के तहत होगा। और अधिनियम, 1961 की धारा 276 ख। [पैरा 8.1,8.2] [395-ई-जी]

1.5 इन सभी मामलों में, जैसा कि संबंधित निर्धारिती द्वारा प्रेषित किया गया है।

टी. डी. एस. हालांकि देर से होता है और यह टी. डी. एस. की कटौती न करने का मामला नहीं है, वे धारा के तहत जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। 271 सी आयकर अधिनियम का। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णयों और आदेशों को रद्द कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है और

आय की धारा 271 सी की व्याख्या पर कानून का प्रश्न कर अधिनियम का उत्तर निर्धारिती के पक्ष में और राजस्व के खिलाफ दिया जाता है। [पैरा 9,10] [395-जी-एच; 396-ए-बी]

लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड बनाम।

अतिरिक्त आयकर आयुक्त (टीडीएस) और ए. एन. आर.

(2019) 411 आई. टी. आर. 214 (एफ. बी.); सी. आई. टी. बनाम. बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया (2016) 15 एस. सी. सी. 81-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(2016) 15 एस. सी. सी 81

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5.8

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 7934

2011 से।

उच्च न्यायालय के 16.06.2009 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2009 के आई. टी. ए. सं. 3 में एर्नाकुलम में केरल सरकार द्वारा।

के साथ

सिविल अपील सं। 1258-1260 2019 से।

23] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अरिजीत प्रसाद, सी. एन. श्रीकुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता। , संदीप बिष्ट, यति रंजन, श्रीमती अपरा पांडे, दिव्यम गर्ग, रंजन कुमार पांडे, अनिल डी नायर, सुश्री अनुपमा कुमार, अश्विन, प्रकाश रंजन नायक, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए। बलबीर सिंह, ए. एस. जी., सुश्री मोनिका बेंजामिन, एच. आर. राव, श्रीमती प्रवीण गौतम, सिद्धार्थ सिन्हा, शशांक बाजपेयी, मोहम्मद। अखिल, राघव शर्मा, राज बहादुर यादव, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. पीड़ितों से दुखी और असंतुष्ट महसूस करना

आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 271 सी के तहत ब्याज/जुर्माना लगाने की पुष्टि करने के लिए एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय (ओं) और आदेश (ओं), स्रोत पर काटे गए कर (टीडीएस) (या टीडीएस के विलंबित प्रेषण) को जमा करने में संबंधित कर निर्धारकों की विफलता पर, संबंधित कर निर्धारकों ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

सिविल अपील सं। 7934/2011

2. संक्षेप में वर्तमान अपील का नेतृत्व करने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:

2.1 आई. डी. 1 से फरवरी, 2003 तक, अपीलकर्ता-निर्धारिती, टेक्नो पार्क, त्रिवेंद्रम में एक सॉफ्टवेयर विकास व्यवसाय में लगे हुए थे।

जिसमें लगभग 700 कर्मचारी कार्यरत थे, वेतन, अनुबंध भुगतान आदि के संबंध में स्रोत पर कर (टीडीएस) काटते थे, कुल रु। 1,10,41,898 / मूल्यांकन वर्ष (एवाई) 2003-04 के लिए। मार्च में, निर्धारिती ने टी. डी. एस. का कुछ हिस्सा रुपये में प्रेषित किया। 38,94,687 / - और रुपये की शेष राशि। 71,47,211 / बाद में भेजा गया। इस प्रकार, देरी की अवधि 05 दिनों से लेकर 10 महीने तक थी। 10.03.2003 पर, राजस्व द्वारा निर्धारिती के परिसर में एक सर्वेक्षण किया गया था और यह नोट किया गया था कि आयकर नियमों (आईटी नियम) के तहत निर्धारित तिथियों के भीतर टीडीएस जमा नहीं किया गया था। आई. डी. 1 पर, आयकर अधिकारी (आई. टी. ओ.) ने अधिनियम, 1961 की धारा 201 (1 ए) के तहत आदेश के माध्यम से 5 लाख रुपये का दंडात्मक ब्याज लगाया। 4,97,920 / - टी. डी. एस. के प्रेषण में देरी की अवधि के लिए। आई. डी. 1 पर, आयकर के अतिरिक्त आयुक्त ने टी. डी. एस. के बराबर राशि की धारा 271 सी के तहत जुर्माना लगाने का प्रस्ताव करते हुए एक कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया। जिसे निर्धारिती ने जवाब दिया

उक्त कारण बताएँ नोटिस का जवाब दिनांक 28.10.2003 पर दिया गया है। उस पर 06.11.2003 , धारा 201 (1 ए) के तहत एक और आदेश पारित किया गया था।

रुपये का दंडात्मक ब्याज। 22,015 / - .

10.11.2003 पर, अतिरिक्त एम/एस यू. एस. प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. आय कर आयुक्त [एम. आर. शाह, जे.]

एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। 1,10,41,898 / - एवाई 2003-04 के लिए काटे गए टीडीएस की राशि के बराबर। जुर्माना लगाने वाले अतिरिक्त सी. आई. टी. का वह आदेश धारा 271 सी के तहत उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और आदेश द्वारा पुष्टि की गई। उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश के माध्यम से निर्धारिती द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है।

2.2 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271 सी के तहत ब्याज/जुर्माना लगाने से दुखी और असंतुष्ट महसूस करना। टी. डी. एस. का प्रेषण पसंदीदा अपीलों का विषय है।

नागरिक आवेदन संख्या। 1258-1260 / 2019

3. संक्षेप में वर्तमान अपीलों की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:

3.1 दिनांक 26.09.2013 के आदेश (ओं) द्वारा, ACIT ने धारा 271C के तहत आदेशों के माध्यम से टी. डी. एस. की राशि के बराबर जुर्माना लगाया।

ए. वाई. एस. 2010-11,2011-12 और 2012-13 के लिए इस आधार पर कटौती की गई कि जुर्माना नहीं लगाने का कोई अच्छा और पर्याप्त कारण नहीं था।

3.2 सी. आई. टी. (अपील) ने निर्धारिती की अपीलों को खारिज कर दिया। दिनांक 01.06.2016 के सामान्य आदेश द्वारा, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण

राजस्व की अपीलें अपने पहले के फैसले पर निर्भर करती हैं (जो ऊपर के रूप में सिविल अपील संख्या 7934/2011 का विषय है)। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश वर्तमान अपीलों का विषय है जो सिविल अपील संख्या है। 1258-1260 / 2019 . 4. श्री अरिजीत प्रसाद और श्री सी. एन. श्रीकुमार, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता संबंधित निर्धारिती की ओर से पेश हुए हैं और

राजस्व की ओर से विद्वान वकील सुश्री मोनिका बेंजामिन की सहायता से विद्वान ए. एस. जी. श्री बलबीर सिंह पेश हुए।

5. सिविल अपील सं. 7934/2011 में निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरिजीत प्रसाद ने जोरदार तरीके से प्रस्तुत किया है।

कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अधिनियम, 1961 की धारा 271 सी के तहत जुर्माना लगाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कोई दंड नहीं होगा।

अधिनियम, 1961 की धारा 271 सी के तहत देय।

23] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5.1 निर्धारिती की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरिजीत प्रसाद ने आगे कहा कि यह टी. डी. एस. के प्रेषण में देरी का मामला है न कि टी. डी. एस. की कटौती न करने का मामला। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, अधिक से अधिक, निर्धारिती अधिनियम की धारा 201 (1ए) के तहत देय दंडात्मक ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

1961. यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि, कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

अधिनियम, 1961 की धारा 271सी के तहत टी. डी. एस. के विलंबित प्रेषण पर हालांकि कटौती की गई है।

5.2 निर्धारिती की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरिजीत प्रसाद ने आगे कहा कि धारा 271सी

केवल पूर्ण या कर के किसी भाग की कटौती न होने की स्थिति में लागू होगा [धारा 271सी (1) (ए)]। यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 271सी (1) (ए) पूर्ण या कर के किसी भी हिस्से की कटौती न होने की स्थिति में लागू होगी

अध्याय XVIIB के प्रावधानों द्वारा या उसके तहत आवश्यक। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में धारा 271सी (1) (बी) लागू नहीं होगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए इसमें प्रयुक्त शब्दों को ध्यान में रखते हुए

धारा 271सी (1) (ए), संबंधित व्यक्ति की ओर से विफलता की स्थिति में कर की राशि के बराबर राशि का जुर्माना लगाया जाएगा जो अध्याय XVIIB के प्रावधानों द्वारा या उसके तहत आवश्यक कर के पूरे या किसी भी हिस्से की कटौती करने में विफल रहता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि टी. डी. एस. के विलंबित प्रेषण के मामले में, अधिनियम, 1961 की धारा 271सी के तहत कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा।

5.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि कानून के मूल सिद्धांत के अनुसार, एक दंडात्मक

5.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक टी. डी. एस. के विलंबित प्रेषण का संबंध है, क़ानून अधिनियम, 1961 की धारा 201 (1ए) के तहत दंडात्मक ब्याज का प्रावधान करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 201 (1ए) के तहत लगाया गया दंडात्मक ब्याज प्रतिपूरक प्रकृति का है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब संसद विलंबित अवधि के लिए टी. डी. एस. के विलंबित प्रेषण पर दंडात्मक ब्याज लगाना उचित समझती है, तो टी. डी. एस. के विलंबित प्रेषण के लिए धारा 271सी के तहत कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। 5.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि राजस्व द्वारा लिया गया रुख और उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए विचार कि विलंबित प्रेषण पर भी

टी. डी. एस. अधिनियम की धारा 271सी के तहत लगाया जाएगा, जो मैसर्स यूएस टेक्नोलॉजीज इंटरनेशनल पी. वी. टी. है।

स्वीकार किया जाता है, उस स्थिति में यह कुछ और जोड़ने के समान होगा जो धारा में प्रदान नहीं किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 271 सी में उपयोग किए गए शब्द "कर के पूरे या किसी भी हिस्से की कटौती करने में विफल" हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह नहीं बोलता है "कटौती करने में विफल रहता है और देर से प्रेषित किया जाता है।"

5.6 निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरिजीत प्रसाद ने अधिनियम की धारा 276 बी की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है।

1961. यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम की धारा 276 बी के अनुसार "यदि कोई व्यक्ति

अध्याय XVIIB के प्रावधानों द्वारा या उसके तहत आवश्यक स्रोत पर उसके द्वारा काटे गए कर का केंद्र सरकार को भुगतान करने में विफल रहने पर, वह मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी होगा और उस अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडनीय होगा जो तीन महीने से कम नहीं होगी, लेकिन जो सात साल तक बढ़ सकती है और जुर्माने के साथ। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, धारा 276 बी "भुगतान करने में विफल" के बारे में बात करती है, जो शब्द अधिनियम की धारा 271 सी में गायब हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, जहाँ भी संसद टी. डी. एस. का भुगतान न करने पर परिणामों के लिए प्रावधान करना चाहती है, वही अधिनियम की धारा 276 बी की तरह प्रदान किया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार, धारा 271 सी और धारा 276 बी के शब्द अलग हैं और

विशिष्ट।

5.7 निर्धारिती की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरिजीत प्रसाद ने आगे कहा कि अन्यथा, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को बाद में लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड के मामले में केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया है। बनाम। अतिरिक्त आयकर आयुक्त (टीडीएस) और ए. एन. आर. (2019) 411 आईटीआर 213 (एफबी)।

5.8 यह आगे संबंधित अपीलों में संबंधित निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी

धारा 273 बी के तहत शक्तियों का प्रयोग, किसी भी विफलता के लिए व्यक्ति या निर्धारिती पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, अगर वह साबित करता है कि उक्त विफलता के लिए कोई उचित कारण था। रिलायंस को सी. आई. टी. बनाम बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया (2016) 15 एस. सी. सी. 81 के मामले में इस अदालत के फैसले पर रखा गया है।

5.9 यह प्रस्तुत किया जाता है कि सिविल अपील सं। 1258-60 / 2019 , आई. टी. ए. टी. ने निर्धारिती के पक्ष में पाया कि टी. डी. एस. को देर से भेजने में विफलता के लिए निर्धारिती के लिए एक उचित कारण था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार आई. टी. ए. टी. ने पाया कि मामला धारा 273 बी, [2023] 4 एस. सी. आर. के तहत आता है।

उच्च न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है।

5.10 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपीलों को अनुमति दी जाए और यह अभिनिर्धारित किया जाए कि टी. डी. एस. के विलंबित प्रेषण के लिए, वहाँ नहीं होगा

अधिनियम, 1961 की धारा 271 सी के तहत कोई दंड देय होगा। 6. इन सभी अपीलों का विद्वान वकील सुश्री मोनिका बेंजामिन की सहायता से विद्वान ए. एस. जी. श्री बलबीर सिंह ने जोरदार विरोध किया है।

राजस्व की ओर से उपस्थित होना। 6.1 राजस्व की ओर से पेश हुए विद्वान ए. एस. जी. श्री बलबीर सिंह ने जोर देकर कहा है कि अधिनियम की धारा 271 सी के तहत

इसे वर्ष 1987 में जोड़ा गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उद्देश्य और उद्देश्य

धारा 271 सी को शामिल करने का अर्थ स्रोत पर कर की कटौती करने में विफलता के लिए जुर्माना लगाना है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आयकर अधिनियम के अध्याय 21 के पुराने प्रावधान के तहत, स्रोत पर कर की कटौती करने में विफलता के लिए कोई जुर्माना नहीं दिया गया था, हालांकि, इस चूक ने धारा 276 बी के प्रावधानों के तहत अभियोजन को आकर्षित किया, जिसमें स्रोत पर कर की कटौती करने में विफलता या सरकार को उसे भेजने में विफलता के लिए सजा निर्धारित की गई थी और इसलिए, स्रोत पर कर की कटौती करने में विफलता के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान करने के लिए धारा 271 सी को जोड़ा गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, ऐसे मामले में जहां निर्धारिती ने कर की कटौती की है

(टी. डी. एस.), लेकिन इसे सरकार को नहीं भेजता है और/या कटौती के बाद देर से टी. डी. एस. भेजता है, ऐसा निर्धारिती अधिनियम की धारा 271 सी के तहत दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। 6.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोई अन्य दृष्टिकोण अधिनियम की धारा 271 सी को शामिल करने के उद्देश्य और उद्देश्य को विफल कर देगा। फिर, विद्वान ए. एस. जी. श्री बलबीर सिंह हमें सी. बी. डी. टी. परिपत्र संख्या 551 पर ले गए हैं।

23.01.1998 , धारा 271 सी के संशोधन और समावेशन की व्याख्या करना। यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 271 सी को शामिल करने का उद्देश्य और उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष के अलावा, वह व्यक्ति जिसने स्रोत पर कर की कटौती की है, लेकिन उसे सरकार को नहीं भेजा है, वह भी जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी होगा और इसलिए धारा 271 सी को जोड़ा गया है।

6.3 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, वर्तमान अपीलों को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

7. संबंधित की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना

लंबे समय तक पार्टियाँ।

अमेरिकी प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. आय कर आयुक्त [एम. आर. शाह, जे.]

7.1 इस टी पर विचार करने के लिए जो छोटा सवाल पूछा जाता है, वह टी. डी. एस. की कटौती के बाद देर से प्रेषण के मामले में है।

क्या ऐसा निर्धारिती धारा के तहत जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी है

अधिनियम, 1961 का?

7.2 वह प्रश्न जो इस पर विचार करने के लिए भी रखा गया है।

टी यह है कि धारा 271 सी (1) (ए) में "कटौती करने में विफल" शब्दों का क्या अर्थ और दायरा है और क्या एक निर्धारिती जो उसके द्वारा कटौती किए गए टीडीएस के प्रेषण का कारण बनता है, उसे एक ऐसा व्यक्ति कहा जा सकता है जो

टी. डी. एस. काटने के लिए?

7.3 प्रतिद्वंद्वी दलीलों की सराहना करने और उक्त प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, सांविधिक प्रावधानों का विश्लेषण करना आवश्यक है।

7.4 प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैंः - " अधिनियम की धारा 201 (1 ए)

उप-धारा (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई

व्यक्ति, प्रधान अधिकारी या कंपनी जैसा कि उस उपखंड में संदर्भित है

धारा कर की पूरी या किसी भी भाग की कटौती नहीं करती है या इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत आवश्यक कर का भुगतान करने में विफल रहने के बाद, वह

या वह साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा,

(i) हर महीने या महीने के कुछ हिस्से के लिए एक प्रतिशत पर

उस तारीख से ऐसे कर की राशि जिस पर ऐसा कर कटौती योग्य था

जिस तारीख को ऐसा कर काटा जाता है; और ((ख) जिस तारीख को ऐसा कर काटा गया था, उस तारीख से लेकर जिस तारीख को ऐसा कर वास्तव में भुगतान किया गया है, उस तारीख तक ऐसे कर की राशि पर हर महीने या महीने के हिस्से के लिए डेढ़ प्रतिशत की दर से, और

इस तरह के ब्याज का भुगतान विवरण प्रस्तुत करने से पहले किया जाएगा

धारा 200 की उप-धारा (3) के प्रावधानों के अनुसारः]

अधिनियम की धारा 271 सी

271 - सी. स्रोत पर कर की कटौती करने में विफलता के लिए जुर्माना। (1) अगर कोई व्यक्ति

करने में विफल

अध्याय XVII-B के प्रावधानों के तहत; या

(ख) द्वारा या उसके तहत आवश्यक कर का पूरा या किसी भी हिस्से का भुगतान करें -

(i) धारा 115-0 की उप-धारा (2); या

((ii) धारा 194-बी का दूसरा परंतुक;

तब ऐसा व्यक्ति जुर्माने के रूप में उस कर राशि के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जो ऐसा व्यक्ति उपरोक्त रूप में कटौती या भुगतान करने में विफल रहा।] (2) उप-धारा (1) के तहत लगाया जाने वाला कोई भी जुर्माना संयुक्त आयुक्त द्वारा लगाया जाएगा।

अधिनियम की धारा 273 बी

273 - बी. कुछ मामलों में जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

धारा 271 की उप-धारा (1) के खंड (ख), धारा 271-ए 4203 [धारा 271-ए. ए.], धारा 271-बी 4204 [धारा 271-बी. ए.], धारा 4205 [धारा 271 बी. बी., 4206 [धारा 271-सी, धारा 271-सी. ए.], धारा 271-डी, धारा 271-ई, 4207 [धारा 271-एफ,] 4208 [धारा 271-एफ. ए. 4209,4210 [धारा 271-एफ. ए. बी., धारा 271-एफ. बी., धारा 271-जी, धारा 271 जी. ए., 4211 [धारा 271-जी. बी.,] 4212 [धारा 271 जी. ए.] उक्त विफलता के लिए उचित कारण।

अधिनियम की धारा 276 बी 276 - बी. अध्याय XII-D या XVII-B के तहत केंद्र सरकार के खाते में कर का भुगतान करने में विफलता। यदि कोई व्यक्ति केंद्र सरकार के श्रेय का भुगतान करने में विफल रहता है,

(क) अध्याय XVII-B के प्रावधानों द्वारा या उसके तहत उसके द्वारा स्रोत पर काटा गया कर; या

(ख) उसके द्वारा देय कर, जैसा कि उसके द्वारा या उसके तहत आवश्यक है -

(i) धारा 115-0 की उप-धारा (2); या

((ख) धारा 194-ख के दूसरे परंतुक के अनुसार, वह तीन महीने से कम नहीं, बल्कि सात साल तक के कठोर कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। मैसर्स यूएस टेक्नोलॉजीज इंटरनेशनल पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. आय कर आयुक्त [एम. आर. शाह, जे.]

7.5 शुरुआत में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ये सभी मामले टी. डी. एस. के विलंबित प्रेषण के संबंध में हैं, हालांकि इसके द्वारा कटौती की जाती है।

निर्धारिती और इसलिए, धारा 271 सी (1) (ए) लागू होगी। पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह देखा जाता है कि यह टी. डी. एस. के विलंबित प्रेषण का मामला है, हालांकि निर्धारिती द्वारा काटा जाता है और टी. डी. एस. की कटौती न करने का मामला नहीं है।

7.6 धारा 271 सी (1) (ए) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति निम्नलिखित प्रावधानों द्वारा या उनके तहत आवश्यक कर की पूरी या किसी भी हिस्से की कटौती करने में विफल रहता है।

271 सी (1) (बी) जो यहाँ मामला नहीं है। इसलिए, धारा 271 सी (1) (ए) संबंधित पक्ष की ओर से विफलता के मामले में लागू होगी। अध्याय XVIIB के प्रावधानों द्वारा या उसके तहत आवश्यक कर के किसी भी हिस्से की पूरी "कटौती" करने वाला व्यक्ति/निर्धारिती। धारा 271 सी (1) (ए) में उपयोग किए गए शब्द बहुत स्पष्ट हैं और उपयोग किए गए प्रासंगिक शब्द "कटौती करने में विफल" हैं। यह टीडीएस के विलंबित प्रेषण के बारे में नहीं बताता है। कानून की तय स्थिति के अनुसार, दंडात्मक प्रावधानों को सख्ती से और शाब्दिक रूप से समझने की आवश्यकता है। कानून की व्याख्या के मूल सिद्धांत और विशेष रूप से दंडात्मक प्रावधान के अनुसार, दंडात्मक प्रावधानों को वैसे ही पढ़ने की आवश्यकता है जैसे वे हैं। दंडात्मक प्रावधान से कुछ भी नहीं जोड़ा जाना है या कुछ भी नहीं निकाला जाना है। इसलिए, अधिनियम, 1961 की धारा 271 सी को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, निर्धारिती द्वारा टी. डी. एस. की कटौती के बाद टी. डी. एस. के विलंबित प्रेषण पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। आयकर अधिनियम की धारा 271 सी काफी स्पष्ट है। इसका दायरा और

आवेदन की सीमा प्रावधान से ही स्पष्ट रूप से स्पष्ट है। जब कर की संपूर्ण या किसी भाग की कटौती न की जाए, जैसे -

अध्याय XVIIB के विभिन्न उदाहरणों/प्रावधानों द्वारा या उनके तहत आवश्यक दंड खंड 271C (1) (a) के तहत आमंत्रित करेगा; केवल एक सीमित पाठ, जिसमें धारा 1150 की उप-धारा (2) शामिल है या दूसरे परंतुक द्वारा कवर किया गया है

अकेले धारा 194 बी एक ऐसा उदाहरण होगा जहाँ जुर्माना लगाया जा सकता है।

अधिनियम की धारा 271 सी (1) (बी) के संदर्भ में अधिरोपित, अर्थात् भुगतान न करने पर। यह न्यायालय के लिए नहीं है कि वह इरादे और विधायी विवेक के विपरीत इसमें कुछ और पढ़े। 7.7 इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि जहां भी संसद भुगतान न करने और/या [2023] 4 एस. सी. आर. के परिणाम चाहती है।

विलंबित प्रेषण/टी. डी. एस. का भुगतान, संसद/विधानमंडल ने अधिनियम की धारा 201 (1ए) और धारा 276बी की तरह ही प्रदान किया है।

7.8 धारा 201 (1ए) में प्रावधान है कि यदि किसी कर की कटौती स्रोत पर की गई है, लेकिन बाद में उसे प्रेषित किया जाता है, तो उसे देर से या बाद में किया जा सकता है।

कुछ दिनों के बाद, ऐसा व्यक्ति अधिनियम की धारा 201 (1ए) के तहत दिए गए ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार धारा 201 (1ए) के तहत ब्याज की वसूली को कटौती के बाद टीडीएस के विलंबित प्रेषण पर प्रकृति में प्रतिपूरक कहा जा सकता है। इसलिए,

गैर-भुगतान/विलंबित प्रेषण/टी. डी. एस. के भुगतान के परिणाम धारा 201 (1ए) के तहत विशेष रूप से प्रदान किए जाते हैं।

7.9 इसी तरह, धारा 276बी टी. डी. एस. को काटने के बाद भुगतान करने में विफलता पर अभियोजन पक्ष के बारे में बात करती है। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि धारा 271सी को बाद में वर्ष में संशोधित किया गया है। 1997 धारा 271सी (1) (ए) और 271सी (1) (बी) प्रदान करना। जैसा कि ऊपर देखा गया है, कर का पूरा या किसी भी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहने पर

धारा 271सी (1) (बी) के तहत आने वाला और 271सी (1) (ए) और 271सी (1) (बी) के बीच इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द "या" है। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि धारा 276बी केंद्र सरकार को कर का "भुगतान" करने में विफलता के मामले में अभियोजन का प्रावधान करती है। "वेतन" शब्द धारा 271सी (1) (ए) में नहीं है।

8. अब जहाँ तक विद्वान ए. एस. जी. द्वारा सी. बी. डी. टी. के परिपत्र संख्या 551 दिनांकित 23.01.1998 पर रखी गई निर्भरता का संबंध है, शुरुआत में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उक्त परिपत्र निर्धारिती के पक्ष में है। परिपत्र संख्या 551 उन परिस्थितियों से संबंधित है जिनके तहत दंड लगाने के लिए क़ानून में धारा 271सी लागू की गई थी। उपरोक्त परिपत्र का अनुच्छेद 16.5 इस प्रकार हैः

" 16.5 : जुर्माना लगाने के लिए एक नई धारा 271सी का समावेशन

स्रोत पर कर की कटौती करने में विफलता के लिए-आयकर अधिनियम के अध्याय 21 के पुराने प्रावधानों के तहत स्रोत पर कर की कटौती करने में विफलता के लिए कोई जुर्माना नहीं दिया गया था। हालाँकि, इस चूक ने धारा 276बी के प्रावधानों के तहत अभियोजन को आकर्षित किया, जिसमें स्रोत पर कर की कटौती करने में विफलता या सरकार को भुगतान करने में विफलता के बाद सजा निर्धारित की गई थी। यह निर्णय लिया गया कि चूक के पहले भाग, यानी स्रोत पर कर की कटौती करने में विफलता को जुर्माना लगाने के लिए उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए, जबकि चूक के दूसरे भाग, यानी सरकार को स्रोत पर कटौती किए गए कर का भुगतान करने में विफलता, जो कि एक अधिक गंभीर अपराध है, पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

संशोधन अधिनियम, 1987 में तदनुसार मैसर्स यूएस टेक्नोलॉजीज इंटरनेशनल पी. वी. टी. है। लिमिटेड। वी. आय कर आयुक्त [एम. आर. शाह, जे.]

जुर्माना लगाने का प्रावधान करने के लिए एक नई धारा 271 सी डाली गई

किसी भी व्यक्ति पर जो अधिनियम के अध्याय XVIIB के प्रावधानों के तहत आवश्यकतानुसार स्रोत पर कर की कटौती करने में विफल रहता है। जुर्माना उस कर की राशि के बराबर है जिसकी कटौती की जानी चाहिए थी।

स्रोत में।

उक्त सीबीडीटी के परिपत्र को निष्पक्ष रूप से पढ़ने पर, यह स्रोत पर कर की कटौती करने में विफलता पर जुर्माना लगाने के बारे में बात करता है। यह इस तथ्य पर भी ध्यान देता है कि यदि कर भेजने में कोई देरी होती है, तो यह अधिनियम की धारा 201 (1 ए) के तहत ब्याज का भुगतान आकर्षित करेगा और इसमें शामिल शरारत की गंभीरता के कारण, इसमें अभियोजन कार्यवाही भी शामिल हो सकती है।

8.1 अन्यथा भी, धारा 271 सी (1) (ए) में आने वाले "कटौती करने में विफल" शब्दों को "कटौती किए गए कर को जमा करने/भुगतान करने में विफलता" में नहीं पढ़ा जा सकता है। 8.2 इसलिए, धारा 271 सी की सही व्याख्या पर, संबंधित निर्धारिती द्वारा टीडीएस की कटौती के बाद प्रेषण में केवल देरी पर धारा 271 सी के तहत कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। के रूप में

ऊपर देखे गए, भुगतान न करने/देर से भुगतान करने पर परिणाम

टीडीएस का प्रेषण अधिनियम, 1961 की धारा 201 (1 ए) और धारा 276 बी के तहत होगा।

9. इन सभी मामलों में उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए

निर्धारिती देर से टी. डी. एस. भेजते हैं और यह टी. डी. एस. की कटौती न करने का मामला नहीं है, वे आयकर अधिनियम की धारा 271 सी के तहत जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। इसलिए, किसी भी प्रश्न पर अधिनियम की धारा 273 बी की प्रयोज्यता पर आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

10. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और बताए गए कारणों से ये अपीलें सफल होती हैं। विवादित निर्णय (ओं) और आदेश (ओं) उच्च न्यायालय को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है और प्रश्न

आयकर अधिनियम की धारा 271 सी की व्याख्या पर कानून निर्धारिती के पक्ष में और राजस्व के खिलाफ है और यह विनिर्दिष्ट रूप से देखा गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संबंधित व्यक्ति/निर्धारिती द्वारा इसके बाद टीडीएस को केवल देर से प्रेषित करने पर, आयकर अधिनियम की धारा 271 सी के तहत कोई जुर्माना नहीं होगा। एप प्रस्तुत करें

तदनुसार अनुमति दी गई। कोई लागत नहीं।

अ

पीलें

दिव्या पांडे (सहायकः अभिषेक प्रताप सिंह और रूपांशी विरंग, एलसीआरएएस)